राजस्थान सरकार

# न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी (जिला कलक्टर), बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

सूचना का अधिकार प्रार्थना पत्र 32/2024

| अपीलांटः– | बनाम | रेस्पोडेंटः – |
|---|---|---|
| 1. श्री यशपाल सिंह सिंह राठौड़, निवासी मोकलसर तहसील सिवाना, जिला बालोतरा। | | 1 अति. जिला कलक्टर, बालोतरा। |

## आदेश

दिनांक 05.11.2024

1. अपीलार्थी श्री यशपाल सिंह सिंह राठौड़, निवासी मोकलसर तहसील सिवाना, जिला बालोतरा ने यह प्रथम अपील उतरदाता अति जिला कलक्टर, बालोतरा के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय में दिनांक 22.10.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलीर्थी द्वारा अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्ध डाक/ऑनलाईन प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से संबंधित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी अति जिला कलक्टर, बालोतरा को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथी को उपस्थित हुए जवाब/टिप्पणी प्रस्तुत की गई।

3. रेस्पोडेंट द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना कार्यालय हाजा की राजस्व शाखा से संबंधित होने से उक्त शाखा को सूचना तैयार करने हेतु अवगत कराया गया। जिसके प्रतिउतर में राजस्व शाखा द्वारा बताया गया कि वांछित सूचना से संबंधित मूल पत्रावली कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर में मौजूद है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध करवाने हेतु धारा 6(3) के तहत प्रार्थी का आवेदन पत्र कार्यालय जिला कलक्टर बाड़मेर को अंतरित किया गया था, जिसकी सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय पत्रांक/लो.सू.अ./2024/195–197 दिनांक 12.09.2024 को दी गई थी। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को अस्वीकार कर प्रकरण खारिज योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील को निस्तारित की जाये।

4. हमने प्रस्तुत अपील एवं रेस्पोडेंट की ओर से जवाब का अवलोकन किया, जिसमें यह बताया कि है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित की मूल पत्रावली कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर संबंधित है, जिसकी सूचना अपीलार्थी को जरिये डाक पत्रांक/लो.सू.अ./2024/195–197 दिनांक 12.09.2024 को दी गई। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाही वांछित सूचना बाड़मेर से संबंधित होने के कारण अपीलार्थी को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। लिहाजा प्रस्तुत अपील के तथ्यों के अवलोकन एवं विवेचन उपरान्त अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

जिला कलक्टर
बालोतरा

5. अतः अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। साथ ही अपीलार्थी को सूचित किया जाता है कि आप द्वारा चाही गई सूचना बाड़मेर से संबंधित होने के उक्त सूचना कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर से प्राप्त कर सकता है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी, अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं कार्यालय जिला कलक्टर, बाड़मेर को सूचनार्थ प्रेपित हो।

6. आदेश आज दिनांक 05.11.2024 को न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार)
प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर
बालोतरा